कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला बारां

क्रमांकः—न—5( )बारां—फोर्स/2025/14006-19 दिनांक :-05.12.2025

—:: प्रेस नोट::—

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या 5780 दिनांक 29.11.2025 के निर्देशानुसार जिला बारां में कॉन्स्टेबल सामान्य व चालक के रिक्त पदों हेतु आयोजित कॉन्स्टेबल भर्ती वर्ष—2025 जिला बारां की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतोल परीक्षा **दिनांक 10.12.2025** को प्रातः 06:00 बजे से महाराव उम्मेद स्टेडियम नयापुरा, कोटा (MAHARAV UMMED SINGH STADIUM NAYAPURA, KOTA) में आयोजित की जावेगी। उक्त दक्षता परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पुलिस मुख्यालय द्वारा विभागीय वेबसाईट https://www.police.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवा दिया गया है। सफल अभ्यार्थी अपना प्रवेश पत्र उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है।

उक्तानुसर शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, वैध फोटो पहचान पत्र, 04 पासपोर्ट साईज फोटेग्राफ्स एवम् कॉस्टेबल भर्ती 2025 की विज्ञप्ति संख्या 1360 दिनांक 09.04.2025 के बिन्दु संख्या 16 में वर्णितानुसार मूल प्रमाण—पत्रों व उनकी स्व—प्रमाणित प्रति तथा राजकीय चिकित्सक द्वारा जारी आरोग्य एवं फिटनेस प्रमाण पत्र सहित प्रवेश पत्र में दिये गये समस्त निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए प्रवेश पत्र में परीक्षा हेतु अंकित निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय पर परीक्षा स्थल पर उपस्थिति देंगें। उक्त प्रयोजनार्थ अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयुपर के पत्र क्रमांक 5820 दिनांक 01.12.2025 द्वारा जारी दिशा—निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित की जावें।

- निर्देशानुसार ईडब्ल्युएस प्रमाण पत्र आवेदन करने की दिनांक से पूर्व की वित्तीय वर्ष (अर्थात 2024—25) की आय के आधार पर ऑनलाईन जारी आर्थिक पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 द्वारा निर्धारित शपथ पत्र अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत करने के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को अधिकतम 03 वर्ष के लिए वैद्य माना जाएगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के दिशा—निर्देश दिनांक 09.09.2015 के बिन्दु संख्या 04 में वर्णितानुसार एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए जारी प्रमाण पत्र जीवन पर्यन्त होगा, जबकि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र क्रिमिलेयर में नहीं होने सम्बन्धित तथ्य तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी।
- ओबीसी/एमबीसी/आर्थिक पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से देय होता है। यदि किन्ही कारणों से आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी को इस आश्य का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदन की अन्तिम तिथि को सम्बन्धित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(अभिषेक अंदासु)
जिला पुलिस अधीक्षक
बारां

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) राजस्थान जयपुर।

D:\force\RECRUITMENT\cader 2025\letter.docx

2. महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेन्ज कोटा।
3. जिला कलक्टर/मजिस्ट्रेट, बारां।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां/महिला अपराध अनुसंधान सैल बारा।
6. समस्त उप पुलिस अधीक्षकगण /थानाधिकारीगण जिला बारां।
7. प्रभारी पुलिस नियन्त्रण कक्ष बारा/जिला विशेष शाखा जिला बारां।
8. संचित निरीक्षक पुलिस लाईन बारां को भेजकर लेख है परीक्षा परिणाम को पुलिस लाईन बारां के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करे।
9. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बारां को भेजकर लेख है कि इस प्रेस नोट को समस्त प्रादेशिक/स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रचारित/प्रसारित कराने की व्यवस्था करावे।
10. सम्पादक समस्त प्रादेशिक /स्थानीय समाचार पत्र को भेजकर लेख है कि आप आपके समस्त संस्करण में जनहित में निशुल्क प्रचारित/प्रसारित कराने का श्रम करावें।
11. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा, को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रेस नोट को आज ही बेबसाईट पर अपलोड करें एवं उक्तानुसार सम्बन्धित कार्यालय की अधिकारिक ई–मेल आईडी पर ई–मेल कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला पुलिस अधीक्षक
बारां

D:\force\RECRUITMENT\cader 2025\letter.docx